२५ पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०
प्रार्थना पत्र पर बहस प्रार्थीगण वकील सुनी
जानी। वास्ते आदेश दिनांक: २५/७/२५ को
पेश हो।

२५/७/२५ पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०
वास्ते आदेश दि० २९/७/२५ को पेश हो।

२९/७/२५ पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०
प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन किया। पत्रावली
व तहसीलदार बाँदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट का अवलो-
कन किया। बहस प्रार्थीगण वकील पर मनन
करने एवं पत्रावली व तहसीलदार बाँदीकुई
से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर
प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित
प्रतीत होता है अतः प्रार्थीगण प्रार्थनापत्र अ०
धारा-२५१ ए R-T-Act स्वीकार योग्य होने
से स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक
से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

मु.अ.33 4-2000-10 लाख फा.

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राज अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

रामस्वरूप बनाम राज्य सरकार

क़िस्म मुकदमा ... नं० ... /2023 सन् 20..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम ज... हुक्म की त... में जारी हु...
	पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद वकील दाखिल दफ्तर हो। 29.7.24	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्याः– 07 / 2023
प्रकरण दायर दिनांकः–13.02.2023
प्रकरण निर्णय दिनांकः– 29.07.2024

उनवान

1. रामस्वरूप पुत्र मूल्या
2. चेतराम पुत्र मूल्या
3. बाबू लाल पुत्र मूल्या
4. धर्मपाल पुत्र मूल्या
5. रामकिशोर पुत्र मूल्या
6. केशर देवी पत्नि मूल्या
7. धनबाई पुत्री मूल्या
8. फुलबाई पुत्री मूल्या
9. भौती पुत्री मूल्या
10. छोटेलाल पुत्र बंशी
11. शिम्भूदयाल पुत्र बंशी
12. महेन्द्र पुत्र बंशी
13. मुकेश पुत्र बंशी
14. काली पत्नि बंशी

जाति बैरवा निवासी मोतीपुरा तहसील बॉदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. राजस्थान सरकार भू.अ. तहसीलदार तहसील बॉदीकुई
2. गोपाल पुत्र हरसहाय
3. जयसिंह पुत्र हरसहाय
4. हरदयाल पुत्र हरसहाय
5. मांगी लाल पुत्र भोलाराम
6. शिवलाल पुत्र भोलाराम

जाति गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसील बॉदीकुई जिला दौसा

7. कैलाश पुत्र गंगासहाय
8. नत्थूराम पुत्र गंगासहाय
9. रामस्वरूप पुत्र रामसहाय
10. हीरालाल पुत्र श्रीनारायण
11. रतन लाल पुत्र श्रीनारायण
12. अनील पुत्र श्रीनारायण

समस्त जाति बैरवा निवासी मोतीपुरा तहसील बॉदीकुई जिला दौसा

Scanned with OKEN Scanner

13. अशोक पुत्र श्रीनारायण
14. सौमोती पत्नि कजोड
15. विजयसिंह पुत्र कजोड
16. बाबूलाल पुत्र कजोड
17. सुरेश पुत्र कजोड

समस्त जाति बैरवा निवासी मौतीपुरा तहसील बॉंदीकुई जिला दौसा

18. प्रभू पुत्र ग्यारसा जाति बैरवा निवासी मोतीपुरा तह. बॉंदीकुई जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी. एक्ट

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. एक्ट इस आशय का पेश किया कि ग्राम मोतीपुरा तहसील बसवा हाल तह. बॉंदीकुई जिला दौसा में भूमि खाता सं. नया 55 पुराना 52 के खसरा नं. 277/582, 278/583, 279/584, 280/585, 282, 282/586, 283 लगा. 287, 293 लगा. 298, 300 कुल किता 18 कुल रकबा 4.40 हैक्ट. स्थित है जो प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है। अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 6 की सहखातेदारी भूमि खाता सं. नया 29 पुराना 25 के खसरा नं. 292 रकबा 0.83 हैक्ट. एवं अप्रार्थीगण सं. 7 लगा. 17 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खाता सं. नया पुराना 6 जिसके खसरा नं. 309 लगा. 312, 470, 500 कुल किता 06 कुल रकबा 0.90 हैक्ट. एवं खाता सं. नया पुराना 47 के खसरा नं. 271, 272, 299, 301 लगा. 308 कुल किता 11 कुल रकबा 1.71 हैक्ट. स्थित मोतीपुरा तहसील बसवा हाल तह. बॉंदीकुई जिला दौसा में स्थित है। प्रार्थीगण अपनी कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में खसरा नं. 483 गै. मु. रास्ते के लगते हुए खसरा नं. 298 रकबा 0.65 हैक्ट. में अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 6 की भूमि आराजी ख. नं. 292 एवं प्रति. सं. 7 लगा. 17 की भूमि खसरा नं. 308 व 309 की मेड के मध्य में होकर अर्से दराज बजमाने बुजुर्गान से आते जाते रहे हैं जो कि 20 फुट चौडाई का रास्ता है उक्त रास्ते को नजरी नक्शे में ए.बी.सी.डी. से दर्शित किया गया है प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में आने जाने का उक्त रास्ता आम रास्ता खसरा नं. 483 जो कि सरकारी रास्ता जो रास्ता गुर्जरों के बास से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोतीपुरा तक जाता है तथा राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज है से जोडता है। प्रार्थीगण की काश्त की भूमि खसरा नं. 298 रकबा 0.65 हैक्ट. में आने जाने का यही एक मात्र रास्ता है इसके अलावा प्रार्थीगण को अपनी काश्त खसरा नं. 298 में व अन्य खसरा नम्बरान में आने जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस कारण रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. को प्रार्थीगण को अपनी काश्त की भूमि में आने जाने के लिए रास्ता 20 फुट चौडाई का घोषित किया जाकर उसका अंकन राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता सं. नया 55 पुराना 53 खसरा नं. 298 रकबा 0.65 हैक्ट. वाके ग्राम मोतीपुरा तहसील बॉंदीकुई जिला दौसा में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 6 की भूमि खसरा नं. 292 व अप्रार्थीगण सं. 7 लगा. 17 की भूमि खसरा नं. 308 व 309 की मेड के मध्य होकर 20 फुट चौडाई का हरूफ ए.बी.सी.डी. रास्ता दिये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें एवं उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे। प्रार्थीगण उक्त रास्ते में काम में आने वाली भूमि के बदले भूमि देने को तैयार या डी एल सी राशी देने को तैयार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गई। अप्रार्थी सं. 18 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश रानीवाल ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण सं. 1 व

Scanned with OKEN Scanner

5 लगा. 8 बाद तामील जर्ये साधारण नोटिस एवं अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 4 व 9 लगा. 17 जर्ये रजिस्टर्ड डाक नोटिस तलबी के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 17 की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं. 18 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर अप्रार्थी सं. 18 का जवाब बंद किया गया। प्रकरण में तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र कमांकः 443 दिनांकः 30.04.2024 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण वकील बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण वकील द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एव संलग्न दस्तावेजात व तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खाता सं. नया 55 पुराना 53 खसरा नं. 298 रकबा 0.65 हैक्ट. वाके ग्राम मोतीपुरा तहसील बॉदीकुई जिला दौसा में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 6 की भूमि खसरा नं. 292 व अप्रार्थीगण सं. 7 लगा. 17 की भूमि खसरा नं. 308 व 309 की मेड के मध्य होकर 20 फुट चौडाई का रास्ता दिये जाने बाबत निवेदन किया है। तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू नहीं है। तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा प्रस्ताव में खसरा नं. 292 रकबा 0.83 हैक्ट. में से 0.01 हैक्ट., खसरा नं. 309 रकबा 0.25 हैक्ट. में से 0.01 हैक्ट., खसरा नं. 308 रकबा 0.30 हैक्ट. में से 0.02 हैक्ट. एवं खसरा नं. 298 रकबा 0.65 हैक्ट. में से 0.02 हैक्ट. भूमि को गै. मु. रास्ते के रूप में दर्ज करने हेतु प्रस्तावित की है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की काश्त की भूमि खसरा नं. 298 में आने जाने का एकमात्र रास्ता प्रतीत होने से प्रस्तावित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम मोतीपुरा तह. बॉदीकुई स्थित रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा नं. 292 रकबा 0.83 हैक्ट. में से 0.01 हैक्ट., खसरा नं. 309 रकवा 0.25 हैक्ट. में से 0.01 हैक्ट., खसरा नं. 308 रकबा 0.30 हैक्ट. में से 0.02 हैक्ट. एवं खसरा नं. 298 रकबा 0.65 हैक्ट. में से 0.02 हैक्ट. भूमि को गै. मु. रास्ते के रूप में दर्ज करने हेतु राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारों के हिस्से में से अवाप्त की जाती है। रास्ते में अवाप्त भूमि को खातेदारी से कम कर सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते में अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि प्रचलित डी.एल. सी. दर से दोगुनी राशि तहसीलदार बॉदीकुई को विधिवत जमा करावे। तहसीलदार बॉदीकुई वांछित राशि जमा कर संबंधित खातेदार को नियमानुसार भुगतान करें तथा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांकः 30.04. 2024 के संलग्न नक्शा ट्रेस जिसमें लाल स्याही से रास्ते के लिए भूमि प्रस्तावित की है के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

[signature] 29.7.24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner